न्यायालयः–प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया, जिला–नर्मदापुरम म0प्र0
(पीठासीनः राजेश कुमार अग्रवाल)

C.I.S. Reg. No.	ST/58/2023
Filling No.	ST/1745/2023
C.N.R. No.	MP0505-001970-2023
Date Of Filling	03-08-2023
Date Of Registration	03-08-2023

–:::निर्णय:::–
(आज दिनांक – 05/06/2025 को घोषित)

यह सत्र प्रकरण पुलिस थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 130/2023, भा.दं.सं. की धारा 379, 467, 468, 471 एवं 411 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 385/2023 में पारित उर्पापण आदेश दिनांक 25.07.2023 से उद्भूत।

परिवादी/अभियोजन	**मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरिया, जिला–नर्मदापुरम (म.प्र.)।**
प्रतिनिधित्व द्वारा –	श्री सुनील चौधरी, अपर लोक अभियोजक।
आरोपीगण –	01–माखन उर्फ मक्खन श्रीवास आत्मज कलीराम श्रीवास, आयु 40 वर्ष, निवासी–नरवारा थाना पलोहा, जिला नरसिंहपुर म.प्र. 02– पुरूषोत्तम आत्मज कोमल प्रसाद मेहरा, आयु 42 वर्ष, निवासी–खैरीखुर्द थाना गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा –	आरोपी माखन की ओर से बृजेन्द्र बिल्थरिया, अधिवक्ता। आरोपी पुरूषोत्तम की ओर से श्री के.जी. तिवारी, अधिवक्ता।

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

अपराध की तारीख	24 / 03 / 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट	08 / 04 / 2023
आरोप पत्र की तारीख	06 / 07 / 2023
आरोपों के विरचना की तारीख	26 / 10 / 2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	10 / 01 / 2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	04 / 06 / 2025
निर्णय की तारीख	05 / 06 / 2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

//आरोपी का विवरण //

आरोपी की श्रेणी	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि।
01	माखन उर्फ मक्खन श्रीवास	11.04.2023	—	भा.दं.सं. की धारा 379, 467, 468 एवं 471	दोषमुक्ति	निरंक	दिनांक 11.04.2023 से 05.06.2025 तक।
02	पुरूषोत्तम मेहरा	दिनांक 11.04.2023 को अभिरक्षा पंचनामा एवं पूछताछ पंचनामा उपरांत धारा–41(1) जा.फौ. का नोटिस देकर उन्मुक्त किया गया।	आरोपी के प्रकरण में उपस्थिति पश्चात् दिनांक 26.10.2023 को जमानत पर छोड़ा गया।	भा.दं.सं. की धारा 411	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक।

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अपर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0

–अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची–

क– अभियोजन :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.01	संतोष प्रजापति	फरियादी/प्रथम सूचना रिपोर्ट/नक्शामौका/शिनाख्तगी मेमों साक्षी।
अ.सा.02	नितेश ठाकुर	मेमोरेंडम/अभिरक्षा पंचनामा/मेमोरेंडम कथन/जप्ती साक्षी।
अ.सा.03	वीरेन्द्र प्रजापति	सुपुर्दनामा पंचनामा साक्षी।
अ.सा.04	तीरथ लाल इरपाची	शिनाख्तगी कार्यवाही साक्षी।
अ.सा.05	अभिषेक मेहरा	मेमोरेंडम/अभिरक्षा/जप्ती साक्षी।
अ.सा.06	संदीप यादव	पुलिस साक्षी।
अ.सा.07	जितेन्द्र साहू	जप्ती साक्षी।
अ.सा.08	हेमंत चौधरी	विवेचक साक्षी।

ख– प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो :– निरंक

ग– न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो:– निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क– अभियोजन :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्र.पी.–01/अ.सा.–01	प्रथम सूचना रिपोर्ट।
02	प्र.पी.–02/अ.सा.–01	नक्शामौका।
03	प्र.पी.–03/अ.सा.–01	शिनाख्तगी मेमो।
04	प्र.पी.–04/अ.सा.–02	आरोपी माखन उर्फ मक्खन का मेमोरेंडम कथन/पूछताछ पंचनामा।
05	प्र.पी.–05/अ.सा.–02	आरोपी पुरूषोत्तम मेहरा का अभिरक्षा पंचनामा।
06	प्र.पी.–06/अ.सा.–02	आरोपी पुरूषोत्तम मेहरा का मेमोरेंडम कथन/पूछताछ पंचनामा।
07	प्र.पी.–07/अ.सा.–02	आरोपी पुरूषोत्तम को दिया गया धारा 41 (1) जा.फौ. का नोटिस।

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

08	प्र.पी.–08/अ.सा.–02	आरोपी पुरूषोत्तम से जप्त स्पलेंडर मोटरसाईकिल एवं फर्जी नंबर प्लेट कमांक एम.पी. 49, एम.टी. 4086 का जप्ती पत्रक।
09	प्र.पी.–09/अ.सा.–03	हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल का सुपुर्दनामा पंचनामा।
10	प्र.पी.–09ए/अ.सा.–08	आरोपी माखन उर्फ मख्खन श्रीवास का गिरफ्तारी पत्रक।
11	प्र.पी.–10/अ.सा.–07	साक्षी जितेन्द्र साहू से जप्त सी.सी.टी.व्ही फुटेज का जप्ती पत्रक।
12	प्र.पी.–11/अ.सा.–07	सी.सी.टी.व्ही. कैमरे से निकाली गई आरोपी माखन की फुटेज।
13	प्र.पी.–12/अ.सा.–07	साक्षी जितेन्द्र साहू का धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र।
14	प्र.पी.–13/अ.सा.–08	मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन डिटेल की छायाप्रति।
15	प्र.पी.–14/अ.सा.–08	आरोपी माखन उर्फ मख्खन के आपराधिक रिकार्ड की प्रमाणित प्रति।

ख– प्रतिरक्षा :– निरंक

ग– न्यायालयीन प्रदर्श :– निरंक

घ– आवश्यक वस्तुएं :–

स.क.	**आवश्यक वस्तु**	**विवरण**
01	आर्टिकल–01	साक्षी जितेन्द्र साहू से जप्त पेनड्राईव
02	आर्टिकल–02	आरोपी पुरूषोत्तम से जप्त फर्जी नंबर प्लेट।

01– आरोपी **माखन उर्फ मक्खन श्रीवास** के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता 1860** जिसे अत्पश्चात ''संहिता'' कहा जायेगा, की धारा 379, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत आरोप है कि – उसने दिनांक 24.03.2023 को सुबह 10–11 बजे के आसपास आरक्षी केन्द्र पिपरिया के क्षेत्रांतर्गत एस.बी.आई. बैंक के पास सीमेंट रोड पिपरिया में फरियादी संतोष प्रजापति के आधिपत्य की मोटरसाईकिल हीरों स्पेलेंडर प्लस रजिस्ट्रेशन कमांक एमपी–05 जेडए–4905 कीमत लगभग 1,23,000/–रूपये को फरियादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं उक्त मोटरसाईकिल

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अप्र अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

का असली नंबर प्लेट हटाकर और उसके स्थान पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जो कि मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आती है, में कूटरचना की तथा उक्त कूटरचना इस आशय से की कि वह छल के प्रयोजन से उपयोग में लायी जा सके एवं उक्त कूटरचित नंबर प्लेट को यह जानते या विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह कूटरचित है, उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाकर अन्य व्यक्ति को विक्रय किया।

02— आरोपी पुरूषोत्तम के विरूद्ध संहिता की धारा 411 के अंतर्गत अपराध है कि उसने चोरी की गई मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंडर प्लस को यह जानते हुये कि वह चोरी की है, आरोपी माखन से क्रय किया।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सुपुर्दनामा एवं आरोपी माखन के गिरफ्तारी पत्रक पर एक ही प्रदर्श (प्र.पी.09) अंकित किया गया है। इसलिये सुविधा की दृष्टि से आरोपी माखन के गिरफ्तारी पंचनामे को प्र.पी.09ए पढ़ा जाये।

04— अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2023 को फरियादी संतोष प्रजापति अ.सा. 01 ने पुलिस थाना पिपरिया में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी कि वह इतवारा बाजार अंबेडकर वार्ड पिपरिया रहता है, ईट भट्टे का काम करता है। दिनांक 24.03.2023 के सुबह करीब 10—11 बजे की बात है, वह राईखेड़ी रोड के ईट भट्टे पर एक व्यक्ति जिसका हुलिया रंग सांवला, हल्के नीले रंग की शर्ट पहने था, कद करीबन 5 फीट 06 इंच, बाल छोटे छोटे एवं दाड़ी हल्की सफेद काली थी उनके पास आया और उससे बोला कि उसे ईंट खरीदनी है तो उसने कहा कि उसे कितनी ईंट खरीदनी है तो उसने कहा 10,000/— ईंट खरीदनी है तो उसने उससे ईंट का भाव पूछा तो उसने कहा कि 50,000/— रूपये की होगी तो उसने कहा कि वह अभी पैसे लेकर नहीं आया है, चलो पिपरिया बैंक चलकर पैसे निकाल लेते है, तो उसने कहा कि चलो, वह कहने लगा कि वह मोटरसाईकिल लेकर नहीं आया है, तुम्हारी मोटरसाईकिल से चलते है तो वह अपनी मोटरसाईकिल काले सफेद रंग की हीरो स्पलेंडर प्लस कमांक एम.पी. 05 जेड.ए. 4905, जो उसने किश्तो में करीबन 1,23,000/— रूपये में खरीदी थी। उक्त मोटर साईकिल को एस.बी.आई बैंक के पास खड़ी करके वे दोनों बैंक के अंदर चले गये, फिर उस व्यक्ति ने उससे कहा कि वह उसके सेठ को लेकर आता है,

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0

फिर वह वहां चल देंगे। काफी इंतजार के बाद जब वह नहीं आया तो वह उसके घर जाने के लिए अपनी मोटरसाईकिल के पास गया तो उसकी मोटर साईकिल वहां पर नहीं मिली, फिर उसने अपनी मोटरसाईकिल की तलाश आस–पास व कस्बे पिपरिया में किया जो नहीं मिली। उसे संदेह है कि उक्त व्यक्ति उसकी मोटरसाईकिल को चोरी करके ले गया है। काफी तलाश के बाद जब मोटरसाईकिल व उक्त व्यक्ति का पता नहीं चला तो आज दिनांक 08.04. 2023 को थाना रिपोर्ट करने आया हूं।

05– उक्त सूचना के आधार पर थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 130/2023 पर प्र0पी0–01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पिपरिया में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ संदीप यादव अ0सा0–06 के द्वारा दर्ज की गई तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के क्रम में थाना पिपरिया में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हेमंत चौधरी अ0सा0–08 के द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0–02 तैयार किया गया तथा फरियादी संतोष तथा साक्षी राजू, उदित के कथन लेखबद्ध किये। विवेचना के क्रम में आरोपी माखन को प्र0पी0–09ए के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार फार्मल गिरफ्तारी कर उससे पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–04 लेख किया गया। उक्त मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपी पुरूषोत्तम से पूछताछ करने हेतु प्र0पी0–05 का अभिरक्षा पंचनामा तैयार किया गया तथा आरोपी पुरूषोत्तम से साक्षीगण के समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेंडम प्र0पी0–06 लेख किया गया और उक्त मेमोरेंडम के आधार पर प्र0पी0–08 के जप्ती पत्रक अनुसार मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंड प्लस तथा उसमें फर्जी नंबर प्लेट एमपी 49 एमटी 4286 को जप्त कर प्र0पी0–08 का जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा उसपर लगे फर्जी नंबर प्लेट को पृथक से आर्टिकल 02 के अनुसार जप्त किया गया। आरोपी पुरूषोत्तम को धारा 41(1) जा.फौ. का नोटिस प्र0पी0–07 देकर रूकसत किया गया। एस.बी.आई. पिपरिया में कार्यरत जितेन्द्र साहू अ0सा0–07 से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का पेनड्राईव जो आर्टिकल 01 है को प्र0पी0–10 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किया गया तथा उसकी छायाप्रति प्र0पी0–11 प्राप्त किया जिसमें आरोपी को मोटरसाईकिल के पास खड़ा होना दिखाया गया है। आरोपी माखन की शिनाख्तगी फरियादी संतोष से करायी गई। उसके पूरक कथन लेखबद्ध किये गये। रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी

5.6.25
(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

49 एमटी 4086 के संबंध में रजिस्ट्रेशन कार्ड प्र0पी0–13 नेट से निकाला गया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण उपार्पित होकर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के आदेश से विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

06– आरोपी माखन के विरूद्ध संहिता की धारा 379, 467, 468, 471 एवं आरोपी पुरूषोत्तम के विरूद्ध संहिता की धारा 411 के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपीगण के द्वारा उक्त आरोप को अस्वीकार किया गया एवं विचारण चाहा गया। आरोपीगण का परीक्षण 1973 दं.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत किया गया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य एवं घटना से इंकार किया है एवं व्यक्त किया कि वे निर्दोष है उन्होंने ऐसा कोई कृत्य कारित नहीं किया है तथा उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है किंतु अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

07– प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :–

1	क्या आरोपी माखन ने दिनांक 24.03.2023 को सुबह 10–11 बजे के आसपास आरक्षी केन्द्र पिपरिया के क्षेत्रांतर्गत एस.बी.आई. बैंक के पास सीमेंट रोड पिपरिया में फरियादी संतोष प्रजापति के आधिपत्य की मोटरसाईकिल हीरों स्पेलेंडर प्लस रजिस्ट्रेशन कमांक एमपी–05 जेडए–4905 कीमत लगभग 1,23,000/–रूपये को फरियादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?
2	क्या आरोपी माखन ने उक्त चोरी गई मोटरसाईकिल का असली नंबर प्लेट हटाकर और उसके स्थान पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जो कि मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आती है, कूटरचना की ?
3	क्या आरोपी माखन ने उक्त नंबर प्लेट की कूटरचना इस आशय से की कि वह छल के प्रयोजन से उपयोग में लायी जा सके ?
4	क्या आरोपी माखन ने उक्त कूटरचित नंबर प्लेट को यह जानते या विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह कूटरचित है, उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाकर अन्य

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0

	व्यक्ति को विक्रय किया ?
5.	क्या आरोपी पुरूषोत्तम ने उक्त चोरी की गई मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंडर प्लस को यह जानते हुये कि वह चोरी की है, आरोपी माखन से क्रय किया ?

//सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 04 :–

नोट – विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 05 को एक दूसरे से जुड़े होने के कारण तथा एक ही साक्ष्य श्रृंखला पर आधारित होने के कारण तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने एवं सक्षेपन की दृष्टि से इनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है :–

08– फरियादी संतोष प्रजापति अ0सा0–01 ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 10.01.2024 में बतलाया है कि लगभग 10 माह पहले उसके राईखेड़ी रोड पिपरिया में स्थित ईंट भट्टे पर आरोपी माखन ने आकर उसके मॉ व भतीजे अंनिकेत से कहा कि वह ईंट खरीदना चाहता है और जिसके पैसे वह बैंक ले जाकर दे देगा। उसके बाद अनिकेत और माखन दोनों उसकी नई स्पलेंडर मोटरसाईकिल जिसका नंबर प्राप्त नहीं हुआ था, से एसबीआई बैंक सीमेंट रोड पिपरिया गये। बैंक पहुंचकर माखन ने अनिकेत से कहा कि उसे अपने सेठ को लेकर आना है इसलिये मोटरसाईकिल और मोबाईल देदो, अनिकेत ने कहा कि वह भी साथ चलेगा, तब माखन अनिकेत से कहने लगा कि उसको सेठ को लेकर आने पर तीनों मोटरसाईकिल पर नहीं आ पायेंगे, इस पर अनिकेत ने अपना मोबाईल व स्पलेंडर मोटरसाईकिल माखन को दे दिया।

09– फरियादी संतोष ने आगे अपने साक्ष्य में बतलाया है कि जब माखन मोटरसाईकिल लेकर वापस नहीं आया तो उसके भतीजे ने उसे किसी अन्य मोबाईल से फोन करके घटना के बारे में बतलाया तो उसने मंगलवारा थाना पिपरिया जाकर घटना के संबंध में रिपोर्ट लेख करायी थी, जो प्र0पी0–01 है जिसपर उसके हस्ताक्षर है। उक्त मोटरसाईकिल काले रंग की थी, जिसकी टंकी पर सफेद रंग का पट्टा बना हुआ था, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी नहीं है। उसके बाद वह घटनास्थल पुलिस वालों के साथ गया था। घटनास्थल बैंक के सामने डीपी थी, नक्शा मौका प्र0पी0–02 पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पिपरिया जेल जाकर आरोपी माखन की पहचान की थी

(राजेश कुमार अग्रवाल)
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

जिसमें अन्य 6–7 लोगों को मिलाया गया था, शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0–03 है। पुलिस ने गाड़ी चोरी हो जाने के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

10– अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोटरसाईकिल उसके भाई के नाम से थी जिसका नंबर एमपी 05 जेडए 4905 था और माखन के साथ अनिकेत भी गया था और वह अलग मोटरसाईकिल से गया था। स्वतः कहा कि थोड़ी देर बाद गया था। यह भी स्वीकार किया है कि जब वह एसबीआई से बाहर निकला तो उसने अपनी मोटरसाईकिल वहॉ नहीं देखी और उसके एसबीआई बैंक से बाहर निकलने के पॉच–दस मिनिट पूर्व माखन एसबीआई से बाहर निकला था।

11– वीरेन्द्र प्रजापति अ0सा0–03 जो फरियादी संतोष का भाई है ने अपनी साक्ष्य में बतलाया है कि उसके नाम की मोटरसाईकिल एमपी 05 जेडए 4905 हीरो स्पलेंडर प्लस की चोरी हो गई थी जिसके संबंध में उसके भाई ने रिपोर्ट की थी और मोटरसाईकिल के मिल जाने पर उसने प्र0पी0–09 के सुपुर्दगी पंचनामे अनुसार प्राप्त किया था।

12– तीरथलाल इरपाची अ0सा0–04 जो नायब तहसीलदार है, के द्वारा अपनी साक्ष्य में फरियादी संतोष के द्वारा आरोपी माखन की शिनाख्तगी दिनांक 06.06.2023 को उपजेल पिपरिया में पहचान किये जाने के कथन किये है।

13– संदीप यादव अ0सा0–06 जो थाना पिपरिया में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 08.04.2023 को फरियादी संतोष के बताये अनुसार थाना पिपरिया के अपराध कमांक 130/2023 पर प्र0पी0–01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट हीरो स्पलेंडर कमांक एमपी 05 जेडए 4905 की चोरी के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के संबंध में कथन किये है।

14– संतोष प्रजापति अ0सा0–01 के मुख्य परीक्षण में किये गये कथन एवं उसके द्वारा लिखाई गई प्र0पी0–01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया जाये तो उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभाष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–01 में यह उल्लेखित है कि दिनांक 24.03.2023 को ईंट भट्टा पर आये व्यक्ति के साथ संतोष स्वयं बैंक गया था और बैंक से उक्त व्यक्ति यह कहकर कि वह अपने सेठ को लेकर आता है, चला गया और जब काफी देर बाद वह नहीं आया तो जब फरियादी अपने घर

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

जाने के लिये अपनी मोटरसाईकिल के पास गया तो उसकी मोटरसाईकिल वहॉ पर नहीं मिली। जबकि अपने न्यायालयीन कथन में फरियादी संतोष अ0सा0–01 के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण के पैरा 01 में बतलाया है कि कथित घटना दिनांक को उसका भतीजा अनिकेत माखन के साथ नई स्पलेंडर मोटरसाईकिल से गया था और माखन ने उसके भतीजे अनिकेत से यह कहकर कि वह अपने सेठ को लेकर आता है, अनिकेत से मोटरसाईकिल व उसका मोबाईल मांग कर ले गया और जब माखन मोटरसाईकिल लेकर वापस नहीं लौटा तो उसके भतीजे ने उसे किसी अन्य के फोन करके घटना के संबंध में बतलाया था, तब उसने मंगलवारा थाना पिपरिया जाकर इस घटना के बारे में रिपोर्ट लिखाई थी।

15– संतोष प्रजापति अ0सा0–01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह स्वीकार किया है कि माखन की बातचीत उसकी मॉ और भतीजे अनिकेत से हुई थी और यही बात उसने पुलिस को बतलाई थी और यह भी स्वीकार किया है कि बैंक के बाहर मोटरसाईकिल नहीं मिलने पर उसे फोन लगाकर सूचना दी थी और वह अनिकेत के सूचना दिये जाने के बाद बैंक पहुंचा था और जब अनिकेत का फोन आया था तब वह बाजार में था जिससे यह स्पष्ट होता है कि फरियादी संतोष आरोपी माखन के साथ बैंक में नहीं गया था और वह बाद में आया था। इस तरह फरियादी संतोष की साक्ष्य के अनुसार कथित मोटरसाईकिल चोरी के समय आरोपी माखन के साथ अनिकेत था, किन्तु अनिकेत से प्रकरण में कोई पूछताछ नहीं की गई है।

16– फरियादी संतोष ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह स्वीकार किया है कि वह माखन को नहीं जानता था और स्वतः कहा कि वह उसके ईंट भट्टे पर आया था और यह भी स्वीकार किया है कि माखन की बातचीत उसकी मॉ एवं भतीजे अनिकेत से हुई थी। फरियादी संतोष के कथन अनुसार माखन ने उसकी मॉ और अनिकेत से कथित घटना दिनांक को फरियादी के ईंट भट्टे पर बात की थी, किन्तु अनिकेत और फरियादी की मॉ से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है और न ही आरोपी माखन की शिनाख्तगी उनसे करायी गई है।

17– फरियादी संतोष ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 के आखिरी लाईन में यह स्वीकार किया है कि उसकी मोटरसाईकिल नहीं मिलने पर मोटरसाईकिल तलाश नहीं की और सीधे थाने पर आ गये और उसी दिन थाने पर रिपोर्ट लेख करा दी। जबकि प्र0पी0–01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 24.03.2023 अंकित है तथा थाने में सूचना प्राप्त होने का दिनांक 08.04.

25.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

2023 अंकित है। जबकि फरियादी संतोष अनुसार उसने घटना की सूचना उसी दिनांक को कर दी थी।

18– फरियादी संतोष ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में यह प्रकट किया है कि उन्हें जब गाड़ी मिली थी तब उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था और रात्रि में ही पुलिस का फोन आया था और वह थाने पर गया था और थाने में उसने माखन को देख लिया था और स्वतः कहा कि अनिकेत ने भी उस समय माखन को थाने में देख लिया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 08 में यह प्रकट किया है कि वह 06 मई को जेल में गया था और पुलिस ने उसे बता दिया था कि माखन को जाकर पहचानना है और यह भी स्वीकार किया है कि उसने माखन को इसलिये पहचान लिया था, क्योंकि उसने माखन को थाने में पहले ही देख लिया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 08 की आखिरी लाईन में यह स्वीकार किया है कि जब कोई व्यक्ति ईंट खरीदने आता है तो वह उसके बारे में पूछताछ करते है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 09 में प्रकट किया है कि घटना वाले दिन ही पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई थी और उसके बाद वह घटनास्थल बैंक पर नहीं गया है और नक्शा मौका पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये है।

19– कायमीकर्ता संदीप यादव अ0सा0–06 ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0–01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 24.03.2023 की है एवं घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.04.2023 को लेख की गई है तथा रिपोर्ट में विलंब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। विवेचक साक्षी हेमंत चौधरी अ0सा0–08 में यह स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्र0पी0–02 घटना दिनांक के 15 दिवस पश्चात् तैयार किया गया है जबकि फरियादी संतोष के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक को ही कर दी थी और मौके पर उसे घटना दिनांक को ही ले गये थे और घटना दिनांक के बाद वह कभी भी पुलिस के साथ मौके पर नहीं गया था। इस तरह फरियादी संतोष एवं कायमीकर्ता साक्षी संदीप यादव तथा विवेचक साक्षी हेमंत चौधरी की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि घटना की रिपोर्ट घटना दिनांक को न लेख करके जानबूझकर बाद में दर्ज की गई है। जिस तरह की घटना फरियादी संतोष के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में बतलाई गई है और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें भी महत्वूपर्ण बिंदु का लोप एवं विरोधाभाष है।

20– उपरोक्त सभी साक्ष्य को समग्र रूप से देखा जाये तो अभियोजन कहानी अनुसार जो घटना बतलाई गई है, वह उसी अनुसार घटित हुई है के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है।

25.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

21– विवेचक साक्षी हेमंत चौधरी अ0सा0–08 के द्वारा अपनी साक्ष्य में बतलाया गया है कि उसने प्रकरण की अग्रिम विवेचना में आरोपी माखन को फार्मल गिरफ्तार कर प्र0पी0–09ए का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था तथा आरोपी माखन ने अपने मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–04 में बताया था कि मोटरसाईकिल के पीछे एमपी 49 एमटी 4086 की नंबर प्लेट लगी है जो उसने फर्जी तैयार कर पुरूषोत्तम मेहरा को बेंची थी। दिनांक 11.04.2022 को उसने अभियुक्त पुरूषोत्तम से पूछताछ करने के लिये उसका अभिरक्षा पंचनामा प्र0पी0–05 तैयार किया था तथा आरोपी पुरूषोत्तम ने अपने मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–06 में बतलाया था कि उसने एमपी 49 एमटी 4086 पर नंबर प्लेट लगी मोटरसाईकिल को 15000/–रूपये में खरीदा है जो उसके घर के सामने खड़ी है चलो चलकर बरामद करा देता हूँ और उसके पश्चात् उसने आरोपी पुरूषोत्तम से प्र0पी0–08 के जप्ती पत्रक अनुसार मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंडर प्लस तथा उसमें लगी फर्जी नंबर प्लेट एमपी 49 एमटी 4086 को जप्त किया था जिसपर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी पुरूषोत्तम को प्र0पी0–07 का नोटिस दं.प्र.सं. की धारा 41 (1) का नोटिस दिया था।

22– आरोपी माखन के मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–04 के पंचान साक्षी नीलेश ठाकुर अ0सा0–02 तथा अभिषेक मेहरा अ0सा0–05 के द्वारा अपने–अपने न्यायालयीन कथन में उपरोक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है एवं केवल प्र0पी0–04 के मेमोरेंडम कथन में अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है। आरोपी पुरूषोत्तम से लिये गये मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–06 के भी पंचान साक्षी नीलेश ठाकुर अ0सा0–02 एवं अभिषेक मेहरा अ0सा0–05 है तथा उपरोक्त मेमोरेंडम के संबंध में भी उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनों साक्षी आरोपी पुरूषोत्तम के अभिरक्षा पंचनामा प्र0पी0–05, नोटिस प्र0पी0–07 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0–08 के भी पंचान साक्षीगण है, के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही को भी उनके समक्ष किये जाने का समर्थन नहीं किया गया है, केवल उपरोक्त पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों पंचान साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन के समस्त सुझावो को अस्वीकार किया है। नीलेश ठाकुर अ0सा0–02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

23– आरोपी माखन के मेमोरेंडम प्र.पी.–04, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. –09ए, आरोपी पुरूषोत्तम का अभिरक्षा पंचनामा प्र.पी.–05, मेमारेंडम प्र.पी.–06,

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

नोटिस प्र.पी.–07 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.–08 का अवलोकन किया जाये तो उक्त सभी दस्तावेजों में दिनांक की जगह में ओवर राईटिंग है तथा आरोपी माखन का मेमोरेंडम 12:45 बजे ग्राम नरवारा थाना पलोहा, जिला नरसिंहपुर में बनाया जाना दर्शाया गया है तथा आरोपी पुरूषोत्तम का मेमोरेंडम ग्राम खैरी खुर्द थाना गाडरवाड़ा समय 13:55 मिनिट पर बनाया जाना दर्शाया गया है तथा उपरोक्त दोनों मेमोरेंडम के पंचान साक्षी नीलेश तथा अभिषेक के द्वारा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है, केवल उपरोक्त पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। दो अलग अलग स्थानों में मेमोरेंडम लिया जाना दर्शित होता है किन्तु दोनों में ही पंचान साक्षीगण समान है, से भी प्रकरण में की गई कार्यवाही की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है।

24– माखन के मेमोरेंडम प्र.पी.–04 में नंबर प्लेट में एम.पी. 49 एम.टी. 4086 में ओवरराईटिंग है तथा बाद में जोड़ा जाना दर्शित होता है। इस तरह आरोपी पुरूषोत्तम का मेमोरेंडम पंचनामा प्र.पी.–06 में मोटरसाईकिल का नंबर एम.पी. 49 एम.टी. 4086 अलग स्याही से लिखा जाना दर्शित होता है। आरोपी पुरूषोत्तम के अभिरक्षा पंचनामा प्र.पी.–05 में स्थान पंचनामा आरोपी का घर ग्राम बिछुआ थाना पलोहा जिला नरसिंहपुर लेख किया गया है जबकि मेमोरेंडम पंचनामा प्र.पी.–06 में खैरीखुर्द थाना गाडरवारा होना दर्शाया गया है तथा विवेचक साक्षी हेमंत चौधरी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में यह स्वीकार किया है कि पुरूषोत्तम के अभिरक्षा पंचनामा प्र0पी0–05 पर सी से सी भाग पर ग्राम बिछुआ जो लिखा है वह गलत लिखा हुआ है।

25– आरोपी माखन तथा आरोपी पुरूषोत्तम से एक ही दिनांक को दो अलग अलग जगह कमशः 12:45 मिनिट एवं 13:55 मिनिट पर मेमोरेंडम लिया जाना दर्शाया गया है तथा दोनों के ही पंचान साक्षी नीलेश तथा अभिषेक है तथा दोनों मेमोरेंडम में ही लगभग एक ही तरह के कथन लेखबद्ध किये गये है तथा दोनों में ही मोटरसाईकिल का नंबर अलग स्याही से लिखा जाना दर्शित होता है।

26– आरोपी माखन से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं की गई है तथा आरोपी पुरूषोत्तम से जो मोटरसाईकिल जप्त करना बतलाया गया है, में केवल ग्राम खैरी खुर्द थाना गाडरवारा लेख किया गया है। ग्राम खैरी खुर्द के किस स्थान से जप्ती की गई है, के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती का स्थान खैरी खुर्द थाना पिपरिया से अलग थाना गाडरवारा के अंतर्गत आता है, किन्तु इस संबंध में कोई रोजनामचा रवानगी, वापसी के सान्हा को प्रमाणित नहीं कराया गया है।

25.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम मप्र0।

27— अभियोजन की ओर से प्रकरण में आरोपी माखन की संलिप्ता को प्रमाणित करने के लिये एस.बी.आई. के कर्मचारी जितेन्द्र साहू अ0सा0—07 से एक पेन ड्राईव आर्टिकल 01 को प्र0पी0—10 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त करना बतलाया गया है। पेन ड्राईव को न्यायालय में चलाकर देखा गया जिसमें 02 मिनिट 50 सेकेंड का फुटेज दिखाई दे रहा है, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाईकिल जो ट्रांसफार्मर के पास खड़ी है, को ले जाते हुये दिख रहा है किन्तु उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है तथा विवेचक साक्षी हेमंत चौधरी अ0सा0—08 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 09 में यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल 01 के वीडियों में किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तथा इस बात को अस्वीकार किया है कि आर्टिकल 01 में दिख रही मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि फरियादी संतोष ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में यह स्वीकार किया है कि जिस दिन गाड़ी चोरी हुई थी उस दिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं था, ऐसी स्थिति में कथित चोरी गई मोटरसाईकिल का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मोटरसाईकिल में अंकित होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

28— अभिलेख में आयी फरियादी संतोष प्रजापति की साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोप एवं विरोधाभाष होने के कारण कथित घटना दिनांक 24.03.2023 को फरियादी संतोष प्रजापति के आधिपत्य से एस.बी.आई. बैंक पिपरिया के पास से उसकी मोटरसाईकिल चोरी हुई थी, का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त चोरी गई मोटरसाईकिल आरोपी माखन के द्वारा चुराई गई है, के संबंध में भी फरियादी संतोष की साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उसके कथनानुसार आरोपी माखन ने उसके भतीजे अनिकेत से अपने सेठ को लाने के लिये मोटरसाईकिल मांग कर ले गया था और अनिकेत के कथन न्यायालय के समक्ष नहीं कराया गया है।

29— घटना की रिपोर्ट फरियादी संतोष प्रजापति के अनुसार उसने घटना दिनांक को ही कर दी है, जबकि रिपोर्ट दिनांक 08.04.2023 को लेखबद्ध किया जाना दर्शित होती है। आरोपी माखन की शिनाख्तगी की कार्यवाही इस कारण से दूषित हो जाती है कि फरियादी संतोष ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे आरोपी माखन को थाने में दिखा दिया गया था तथा फरियादी संतोष के कथन से यह दर्शित होता है कि ईंट भट्टे पर कथित घटना दिनांक को जो व्यक्ति आया था उस व्यक्ति की बात संतोष के मॉ एवं भतीजे अनिकेत से हुई थी। ऐसी स्थिति में फरियादी संतोष के द्वारा उक्त व्यक्ति की पहचान करना भी संदेह उत्पन्न करता है।

5.6.25

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0]

30— सीसीटीवी फुटेज में भी कौन व्यक्ति कौनसी मोटरसाईकिल ले जा रहा है, इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। मेमोरेंडम, जप्ती की कार्यवाही इस कारण से संदिग्ध प्रतीत होती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों में दिनांक में ओवरराईटिंग है तथा स्वतंत्र पंचान साक्षीगण के द्वारा मेमोरेंडम, जप्ती की कार्यवाही की पुष्टि नहीं की गई है। मेमोरेंडम एवं जप्ती की कार्यवाही थाना पिपरिया से पृथक अलग थाने में की गई है, किन्तु उसके समर्थन में कोई रोजनामचा रवानगी, वापसी के सान्हा को प्रमाणित नहीं कराया गया है।

31— अभिलेख पर आयी समस्त साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने के बजाय साक्ष्य को गढ़ने का प्रयास किया गया है और इसी कम में सभी पंचनामों में एक ही दिनांक अंकित किया गया है तथा उसमें ओवरराईटिंग की गई है और सभी दस्तावेजों में पंचान साक्षीगण नीलेश ठाकुर एवं अभिषेक मेहरा के एक साथ एक ही जगह पर हस्ताक्षर कराया जाना दर्शित होता है जिससे उपरोक्त कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है।

32— ऐसी स्थिति में आरोपी माखन के द्वारा फरियादी संतोष प्रजापति के आधिपत्य की मोटरसाईकिल की चोरी की तथा उक्त चोरी की गई मोटरसाईकिल में नकली नंबर प्लेट लगाकर कूट रचना की तथा उक्त कूट रचना छल के प्रयोजन से की गई तथा उक्त नकली नंबर प्लेट को असल के रूप में उपयोग किया, का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। आरोपी पुरूषोत्तम मेहरा द्वारा उक्त चोरी की गई मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंडर प्लस को यह जानते हुये कि वह चोरी की है, आरोपी माखन से कय किया, का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है।

33— अतः अभिलेख में आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचित कारण से अभियोजन की कहानी आरोपी माखन एवं पुरूषोत्तम मेहरा के विरूद्ध प्रमाणित न पाते हुये आरोपी **माखन श्रीवास** को संहिता की धारा 379, 467, 468, 471 के आरोप से एवं आरोपी **पुरूषोत्तम मेहरा** को सहिता की धारा—411 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

34— आरोपी माखन श्रीवास न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके जेल वारंट पर टीप लगाई जावे कि उसे इस प्रकरण में दोषमुक्त किया गया है, उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो अविलंब छोड़ा जावे। उसके द्वारा न्यायिक निरोध में बितायी गई अवधि के संबंध में **दण्ड प्रकिया संहिता 1973** की **धारा—428** के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया
जिला नर्मदापुरम म0प्र0।

35– आरोपी पुरूषोत्तम मेहरा जमानत पर है। अतः उसके द्वारा न्यायिक निरोध में बितायी गई अवधि के संबंध में **दण्ड प्रकिया संहिता 1973** की **धारा–428** के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण पत्र बनाया जावे।

36– आरोपी पुरूषोत्तम मेहरा के जमानत मुचलके भारमुक्त समझे जावे।

37– प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल सुपुर्दनामे पर है जो अपील अवधि पश्चात् वाहन मालिक के पक्ष में भारमुक्त समझी जाये तथा पेनड्राईव तथा फर्जी नंबर प्लेट अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर नष्ट की जाये एवं अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उनका निराकरण किया जावे।

38– निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम की ओर प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित,
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश पिपरिया जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
पिपरिया, जिला–नर्मदापुरम(म0प्र0)

(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
पिपरिया, जिला–नर्मदापुरम (म0प्र0)

मेरे द्वारा टाईप किया गया।
रामसेवक भल्लावी (साक्ष्य लेखक)

RAJESH KUMAR AGARWAL
Digitally signed by RAJESH KUMAR AGARWAL
Date: 2025.06.05 15:51:09 +0530